

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL


रु.  
25000  
पचास हजार रुपये



Rs.  
25000  
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

UPRADESH

F 957103



केला



विक्रेता



यह विक्रय विलेख आज दिनांक ०५ माह ०९ वर्ष २०१७ की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम १९६५ के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिणी है और सम्मिलित हैं।

क्रमशः २ पर

केला

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.  
25000  
पच्चीस हजार रुपये



Rs.  
25000  
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

देश UTTAR PRADESH

F 957105



(3)

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में अवध विहार योजना नामक मुहल्ले के सेक्टर-2B में निर्मित एस.एफ.एस. 2013 बहुमंजिलीय योजना के भागीरथी एन्वेलॉप 3BHK का फ्लैट संख्या-2B/T-7-802 का कुल मूल्य है और चूंकि उक्त परिषद ने रू0 48,62,140.00 (रू0 अड़तालिस लाख बासठ हजार एक सौ चालीस मात्र) जिसका आधा रू0 24,31,070.00 (रू0 चौबीस लाख इकत्तीस हजार सत्तर मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त फ्लैट्स (संख्या-2B/T-7-802) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित

कमशः पेज 4

केला

विक्रेता



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 957106



(4)

है। जिसे एतदपरचात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है। अतएव रू0 48,62,140.00 (रू0 अड़तालिस लाख बासठ हजार एक सौ चालीस मात्र) की धनराशि के प्रति फलस्वरूप एतद्वारा उक्त सम्पत्ति अर्थात फ्लैट सख्या-2B/T-7-802 क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है:-

कमश: पेज 5

*C. S. Yadav*  
क्रेता

*[Signature]*  
विक्रेता

रतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



PRADESH

F 957107



(5)

- 1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।
- 2) एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।
- 3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया जाना है।
- 4) इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

कमशः पेज 6

*Ch. J. J. J.*  
क्रेता

*Adm. J. J. J.*  
धिकेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



R PRADESH

F 957108



(6)

5) यदि इच्छुक क्रेता एतद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।

6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे, उक्त परिषद से यथा प्रस्तावित भूखण्डों/फलैटों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं हेतु पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन क्रय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं :-

कमशः पेज 7

*R. S. Yadav*  
क्रेता

*[Signature]*  
विक्रेता



PRADESH

F 957109



(7)

7) (क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

8) (ख) इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

कमशः पेज 8

*Chigodan*  
क्रेता

*[Signature]*  
विक्रेता

तीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



PRADESH

F 957110



(8)

9) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्रय किया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद की कालोनी में सड़को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या-2B/T-7-802) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 13.50% की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

कमशः पेज 9

Ch. Yadav  
क्रेता

क्रेता

रतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.  
000  
हजार रुपये



Rs.  
25000  
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

PRADESH

F 957111



(9)

10) क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा/करेगी और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।

11) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या-2B/T-7-802 स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि निर्माण या उसके बगल में स्थित भूमि/निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।

क्रमशः 10 पर

*C. S. Yadav*  
क्रेता

*[Signature]*  
विक्रेता



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 957112



(10)

12) क्रेता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे।

13) क्रेता को फ्लेट्स का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु रू0 1747.00 प्रति माह "कार्पस फण्ड" में जमा करना होगा। भागीरथी एन्क्लेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से 2 वर्ष के बाद मेन्टीनेन्स का कार्य आवंटियों की समिति को उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित हस्तगत करा दिया जायेगा। तत्पश्चात समिति द्वारा उक्त एन्क्लेव को अपने श्रोतो से करना होगा। निर्धारित रख-रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 2 वर्ष तक प्रति माह आवंटी को देना होगा। आवासीय समिति का सदस्य प्रत्येक आवंटी को बनना अनिवार्य होगा।

क्रमशः 11 पर

C. L. Yadav  
क्रेता

*[Signature]*  
विक्रेता

तीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.  
000  
हजार रुपये



Rs.  
25000  
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

F 957113

PRADESH



(11)

14) सुपर एरिया पर एक रूपया एवं दस पैसे मात्र प्रति वर्ग फुट की दर से सामान्य सेवाओं जैसे कैम्पस लाईट, सेक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्युनिटी सेन्टर की देख-रेख, सफाई, विद्युत बिल आदि के रख-रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट्स ओनर को प्रतिमाह अतिरिक्त देना होगा। सीढ़ियों, बरामदा, पार्किंग स्थान, पाक्र, सुरक्षा कर्मचारी, माली, जमादार आदि का वेतन एवं सीवार सिस्टम का रख-रखाव (एस0टी0पी0) एवं अन्य कामन नेचर की सेवाएँ आदि शामिल होगी।

15) नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

क्रमशः 12 पर

C. K. Yadav  
केता

विकेता

रतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



R PRADESH

F 957114



(12)

16) योजना आवासीय योजना है अतः फ्लैट्स का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट्स में किसी भी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।

17) सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।

क्रमशः 13 पर

कैला

विकेता

य गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



RADESH

B 613531

(13)

18) क्रेता द्वारा विद्युत खण्ड-प्रथम उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, में निर्धारित जमा धनराशि एवं कनेक्शन चार्ज जमा करके विद्युत कनेक्शन लिया जाना होगा। उक्त के अतिरिक्त दूरभाष एवं अन्य सर्विस कनेक्शन स्वयं के व्यय से लिया जा सकता है परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे भागीरथी एन्क्लेव के वाह्य एवं स्थायी स्ट्रेक्चर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े एवं इस हेतु परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।

क्रमशः 14 पर

Ch Yadav  
क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये



TWENTY  
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 613532

(14)

19) प्रत्येक क्रेता को फ्लैट के वाह्य मिन्टेनेन्स मरम्मत पेन्टिंग ट्यूबवेल मरम्मत कामन एरिया की लाईट की मरम्मत एवं बदलाव सीवर, नाली एस0टी0पी0 एवं वाह्य विद्युतीकरण आदि के सम्बन्ध में जो व्यय आयेगा वह आवंटियों के मध्य विभाजित एवं देय होगा।

क्रमशः 15 पर

*Cd. Prasad*  
क्रेता

*[Signature]*  
विक्रेता

भारतीय गैर-न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ-990593

11 JUN 2011

(15)





20) आवंटित क्षेत्रफल जैसे पार्किंग का स्थान स्वतन्त्र एरिया एशोसिएशन को हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इस पर कोई भी निर्माण एवं परिवर्तन बिना विक्रेता परिषद की अनुमति के मान्य नहीं होगा।

21) क्लब, ओपेन एरिया पार्किंग आदि कामन एरिया उ0प्र0 अपार्टमेंट्स (परमोशन आफ कास्ट्रक्शन ओनर शिप एण्ड मेन्टीनेन्स एक्ट-2010) के अनुसार परिषद का रहेगा।

क्रमशः 16 पर

C. S. Gaur  
केला

विक्रेता

सिलसिले का नम्बर	बही	खण्ड	पृष्ठ	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	प्रस्तुतकर्ता निष्पादनकर्ता नाम व पता	पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	
					<p>क्रेता / प्रस्तुतकर्ता  श्री छोटे लाल यादव  पुत्र श्री राजदेव यादव  निवासी-ऊचवाडीह पो0 जमुनिया  जिला- जौनपुर(उ0प्र0)।</p>	
					<p>विक्रेता  सम्पत्ति प्रबन्धक  उ0प्र0 आवास एव विकास  परिषद  अवध विहार योजना  सुल्तानपुर रोड लखनऊ</p>	<p><b>क्रेता</b></p> 
					<p>रामरसूलकि:</p>	<p><b>विक्रेता</b></p> 
					<p>सेना राम  को.पु.</p>	

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 990594

(16)

- 22) फलैट्स के हस्तान्तरित क्षेत्रफल में फलैट्स की चारो दिवारों से लगे हुये फलैट में दिवारों का आधा भाग फलैट में शामिल होगा।
- 23) पुस्तिका में असमावेशित रहगयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 24) किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।
- 25) क्रेता द्वारा विभिन्न मदों में किये गये भुगतान का विवरण अनुसूची-क में है।

क्रमशः 17 पर

*Cid radar*  
क्रेता

*Kumar*  
विक्रेता



(17)

अनुसूचित "क"

विक्रय की गयी सम्पत्ति का विवरण

वार्ड:- .....

प्रतिफल की धनराशि (रूपये में)

मूल्य रू० 48,62,140.00

स्टाम्प पेपर रू० 3,42,000.00

उक्त फ्लैट का कुल मूल्य रू० 48,62,140.00 ब्याज/दण्ड ब्याज रू० 16,621.00 कुल रू० 48,78,761.00 आवंटी द्वारा परिषद को भुगतान किया गया है।

नोट:- (2) आवंटित फ्लैट्स सं० 2B/T-7-802 का जो निर्गत पत्र संख्या-8451 दिनांक 13-06-2017 छायाप्रति संलग्न के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग-7, आदेश संख्या-13/संख्या-क०नि० 7-440/11-2015-700(111)/13 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2015 के शासनादेश अनुसार विक्रय विलेख एक वर्ष के अन्दर निष्पादित किया जा रहा है तथा कब्जा दिया जाना प्रदत्त है।

अवध विहार योजना नामक मोहल्ले के  
सेक्टर-2B में निर्मित भागीरथी एन्क्लेव का फ्लैट संख्या-2B/T-7-802  
विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

1	भूमि का प्रकार	:	ग्रुप हाउसिंग
2	मोहल्ला/ग्राम	:	अवध विहार योजना
3	सम्पत्ति का विवरण	:	फ्लैट्स सं० 2B/T-7-802
4	टावर नं०	:	T-7
5	फ्लोर संख्या	:	8 <sup>TH</sup>
6	प्रकार	:	3BHK
7	भूमि की माप	:	54.30 वर्ग मीटर
8	फ्लैट्स का निर्मित क्षेत्रफल	:	123.23 वर्ग मीटर
9	फ्लैट्स का सुपर एरिया	:	147.57 वर्ग मीटर
10	फ्लैट्स का प्रकार	:	आवासीय फ्लैट
11	कुल क्षेत्रफल	:	147.57 वर्ग मीटर
12	कुल कर्वड क्षेत्रफल	:	123.23 वर्ग मीटर
13	स्टेट्स फिनिशड/सेमी फिनिशड/अन्य	:	फिनिशड
14	प्रतिफल की धनराशि	:	48,78,761.00
15	मूल्य	:	48,62,140.00
16	बाउन्ड्री आफ दा फ्लैट्स संख्या	:	उत्तर संलग्न साईट प्लान के अनुसार दक्षिण संलग्न साईट प्लान के अनुसार पूर्व संलग्न साईट प्लान के अनुसार पश्चिम संलग्न साईट प्लान के अनुसार

*C. H. Yadav*  
केला

*Vikranta*  
विक्रता

क्रमश : 18 पर



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
**भारत सरकार**  
 Unique Identification Authority of India  
 Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 1218/80004/00023

To  
 छोटे लाल यादव  
 Chhote Lal Yadav  
 T428 circuit house colony civil lines  
 Bareilly  
 Bareilly  
 Nawabganj Bareilly  
 Uttar Pradesh 243001  
 9005079999

02/10/2014  
 177500139



ML775001397FT



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

**7392 2879 9491**

आधार - आम आदमी का अधिकार



भारत सरकार  
 Government of India



छोटे लाल यादव  
 Chhote Lal Yadav  
 जन्म तिथि / DOB : 06/01/1968  
 पुरुष / Male



**7392 2879 9491**

आधार - आम आदमी का अधिकार

*Chhote Lal Yadav*



विचय पत्र माख्या

नाम श्री. रमेश चंद्र

पद सहायक पोलीस ठाणे

पत्ता नं. १२३, म. नं. ४५६

श्री. वि. वि.

पदाधिकारी नगर

अधिकारी वी. १०

उत्तर प्रदेश पुलिस

पिता कुल का नाम

व्यापक पत्र

दि. ११/११/११

उपस्थिति : कर्म

का

माह

वर्ष ११

का

पदाधिकारी नगर

अधिकारी वी. १०



भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA  
UP 70-1049847-05  
IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : सतराम  
Elector's Name : Santram  
पिता/माता/पति का नाम : ननकराम  
Father's/Mother's/Husband's Name : Nankar Ram  
लिंग / Sex : पुरुष Male  
1995 का आय : 30  
2001 का आय : 30

पिन : 226005  
म.सं. : 159  
गा.सं./गाविसं. : लकड़ी मोहल बुधद मोहल  
तहसील : लखनऊ  
जिला : लखनऊ  
Address  
H.No. : 159  
Vill/Mohalla : Lakdi Mohal Budhad Mohal  
District : Lucknow  
Dist : Lucknow

निर्वाचक रजिस्ट्रेशन कार्ड का प्रयोग  
केवल मतदान के लिए ही किया जा सकता है।  
निर्वाचन क्षेत्र 104 - लखनऊ कैंटोनमेंट  
Facsimile Signature of  
Electoral Registration Officer  
for 104 Lucknow Cantonment A.C.

स्थान : लखनऊ दिनांक : 01/05/95  
Place : Lucknow Date : 01/05/95

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान  
के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।  
This card can be used as an Identity Card under  
different Government Programmes.



(2)

एक पक्ष और श्री छोटे लाल यादव पुत्र श्री राजदेव यादव निवासी- ऊचवाडीह पो0 जमुनिया जिला- जौनपुर(उ0प्र0) जिसके एतदपश्चात पंजीकृत इच्छुक क्रेता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:-

क्रमशः 3 पर

*Ch. Yadav*  
क्रेता

*[Signature]*  
विक्रेता

“ अनुसूची - ख ”

जिसके साक्ष्य में श्री आर०के० सिंह, सम्पत्ति प्रबन्धक परिषद की ओर से और उसकी ओर से श्री छोटे लाल यादव आशयिता संख्या-2B/T-7-802 के क्रेता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।



*केता*  
क्रेता के हस्ताक्षर

*[Signature]*  
विक्रेता  
परिषद की ओर से एवं उसके लिए  
सक्षम अधिकारी

1. साक्षी ह० *[Signature]*  
नाम:- *उ. ड. म. म. म. म.*  
पता:- *प्लॉट नं० D 97*  
*NDA मालोनी*  
*एनएचएम*

1. साक्षी:- ह० *[Signature]*  
नाम:- *M. H. S. S. S.*  
पता:- *[Signature]*

2. साक्षी ह०  
नाम:- *मोहन लाल केवरी*  
पता:- *C 8/276 अशयिता विधन*  
*केलोज वासनाखी*

2. साक्षी:- ह० *[Signature]*  
नाम:- *V. B. Givestony*  
पता:- *J.A.O.*

*देवेंद्र सिंह*  
*मोहन*  
*सहयुक्त*



*रामरतन सिंह*  
*स्व० गजराज सिंह*  
*ग्राम भूमिगत पोस्ट चक्रपुर*  
*शाना सावडी भ-हरदोई*